

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2026

जयपुर, दिनांक 04.03.2026

—: आज्ञा :—

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त कार्यभार	वि०वि०
1.	वीना गुप्ता	निदेशक (वित्त), राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर	निदेशक (वित्त), राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर	• इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 28.02.2026 के अतिक्रमण में
2.	नन्द किशोर शर्मा	उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर	मुख्य लेखाधिकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थान मामलात विभाग (डोरा), जयपुर	• नवसृजित रिक्त पद
3.	ज्योति सागर रे	मुख्य लेखाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP), जयपुर	• रिक्त पद
4.	शहला खान	वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	प्रबंधक (वित्त), राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	• रिक्त पद
5.	शिल्पा सान्दू	अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर	लेखाधिकारी, जिला परिषद, अजमेर	• रिक्त पद
6.	राहुल शर्मा	लेखाधिकारी, का० कृषि विभाग, भीलवाड़ा	लेखाधिकारी, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल एण्ड इंजिनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा	• रिक्त पद
7.	पुनीत कुमार सिंहल	लेखाधिकारी, का० पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर	उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर	• रिक्त पद
8.	प्रमोद कुमार गुर्जर	लेखाधिकारी, जिला परिषद, कोटपूतली-बहरोड़	कोषाधिकारी, कोषालय, कोटपूतली-बहरोड़	• रिक्त पद
9.	आशुतोष उपाध्याय	लेखाधिकारी, का० सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त, बांरा	लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर, बांरा	• रिक्त पद

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (पवन जैमन) 43-26
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष।
5. संबंधित अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव